



प.क्र.:07(ii)07/CS/Auction of Fruits/2026-27 - 2612

दिनांक: 19.09.2029

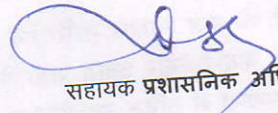
21

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के सिट्रस ब्लॉक में विभिन्न प्रजातियों/जीनोटाइप के पौधे शामिल हैं, जिनमें मीठा मेंडरिन, ग्रेपफ्रूट और बदरी नींबू आदि शामिल हैं के 500 पेड़ों पर लगे हुये फलों की तुड़ाई एवं खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 29.09.2026 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जावेगी।

नियम व शर्तें:

1. प्रत्येक जीनोटाइप/उपचार/रिप्लिकेशन से लगभग 1 किलोग्राम फल अनुसंधान कार्य हेतु प्रत्येक पेड़ पर ही रखा जायेगा।
2. संस्थान में अनुसंधान कार्य हेतु आरक्षित 15 चयनित पेड़, जिनमें क्रॉस, चयन एवं एलाइट पेड़ शामिल हैं, नीलामी में शामिल नहीं किए जाएंगे। ठेकेदार/फर्म इन चिन्हित/टैग किए गए पेड़ों को तुड़ाई से बाहर रखेगी एवं इन पर लगे फलों पर संस्थान का अधिकार होगा।
3. सभी रूट स्टॉक पेड़ों को बीज संग्रहण, नर्सरी एवं अनुसंधान कार्य के उद्देश्य से नीलामी से बाहर रखा गया है।
4. तुड़ाई पूर्ण होने के बाद ठेकेदार द्वारा सभी पेड़ों पर लगे तथा गिरे हुए फलों को हटा दिया जाएगा तथा अनुबंध अवधि के दौरान पूरे सिट्रस प्रखण्ड में उचित स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक होगा।
5. अनुबंध के दौरान पेड़ों पर छिड़काव या अन्य पौध संरक्षण कार्यों के लिए आवश्यक रसायन, पौध संरक्षण सामग्री एवं मैनपावर संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, केवल आवश्यकता होने पर स्प्रे टैंक सहित ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा।
6. फलों की तुड़ाई संबंधित किस्मों की परिपक्वता अवधि (पकने के समय) के अनुसार ही की जाएगी। तुड़ाई कार्य संस्थान कार्य दिवसों (वर्किंग डेज) में, तकनीकी अधिकारी/यंग प्रोफेशनल (YP) की उपस्थिति में और फसल प्रभारी (क्रॉप इन-चार्ज) की पूर्व सहमति से ही किया जायेगा।
7. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में ₹. 20000/- नीलामी शुरू होने से पूर्व जमा करवाने होंगे।
8. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को तुड़ाई कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा तुड़ाई कार्य शुरू किया जावेगा।
9. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की 50% (पचास प्रतिशत) राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में द्वितीय बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
10. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुड़ाई के दौरान सिट्रस के वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। सिट्रस के वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
11. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात उत्पादित सिट्रस के पौधों की फलों के 500 पौधों में लगे फलों को ले जाने का कार्यादेश जारी होने के 120 दिवस में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक सिट्रस के फलों पर नहीं रहेगा। इस अवधि में सिट्रस फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
12. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. उत्पादित सिट्रस के फलों की तुड़ाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुड़ाई नहीं होगी। प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही ठेकेदार को फल दिये जायेंगे। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को

- फलों के तुड़ाई के लिये नहीं लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तोड़े गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।
14. उत्पादित सिट्रस फलों के 500 पौधों में लगे फलों की तुड़ाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा।
  15. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी
  16. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
  17. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पूर्ण ने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
  18. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।
  19. फलों की तुड़ाई इत्यादि का समस्त कार्य प्रभारी फार्म/प्रभारी सिट्रस प्रखण्ड के निर्देशन में ही पूरा किया जावेगा।

  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

**वितरण :**

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
  2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
  3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
  4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
  5. सूचना पट्ट -राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोकस सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
  6. सूचना पट्ट -केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
  7. सूचना पट्ट -स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
  8. सूचना पट्ट -राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सक्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
  9. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  10. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
11. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड कर सूचित करें।



भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान  
ICAR - Central Institute for Arid Horticulture  
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334001  
Fax : 0151-2250145 Email : ciah@nic.in

### निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के सिट्रस ब्लॉक में विभिन्न प्रजातियों/जीनोटाइप के जिनमें मीठा मेंडरिन, ग्रेपफ्रूट और बदरी नींबू आदि शामिल हैं के 500 पेड़ों पर लगे हुये फलों की तुड़ाई एवं खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 29.09.2026 को सुबह 11.00 आयोजित की जावेगी। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म रुपये 2000.00 जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत नियम व शर्तें संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल बीकानेर के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेब साईट <https://icar-ciah.org> पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी